न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय ग्राम पंचायत चीथवाडी)

मु.न. 214/2015

उनवान

1. हनुमानसहाय पुत्र श्री नानूराम
2. जगदीश पुत्र नानूराम

जातियान ब्राहम्ण, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. जगदीश पुत्र कजोड
2. बन्शीधर पुत्र कजोड
3. मोहन पुत्र कजोड
4. सेठमल पुत्र कजोड
5. राजू पुत्र कजोड
6. औंकार पुत्र मंगला
7. गोपाल पुत्र मंगला
8. बनवारी पुत्र मंगला
9. लालाराम पुत्र मंगला
10. कैलाश पुत्र मंगला

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत चीथवाडी मे पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम चीथवाडी, पटवार हल्का चीथवाडी, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में आ0ख0न0 3554 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3562/4120 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3593/4113 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3774 रकबा 0.09 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो इस वाद में विवादित भूमि हैं। जिसे आगे के मदों में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेंगा।

विवादित आराजीयात के दक्षिण सीमा से लगती प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि है तथा प्रतिवादीगण संख्या में बाहुबली है। जो लठ्ठ के बल पर वादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है।

प्रतिवादीगण दिनांक 20.09.2015 को एकराय होकर वादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि पर आ गये और पुख्ता निर्माण करने के उद्देश्य से नींव खोदने लग गये। वादीगण ने मना किया कि हमारी खातेदरी भूमि में तुम्हें निर्माण करने का अधिकार नहीं है। जिस पर प्रतिवादीण लठ्ठ लेकर लडने पर उतारू हो गये जिससे यह वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है।

वादीगण को हक अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवायें कि विवादित आराजीयात के उपयोग

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner

उपभोग में मजाहमत, मदादखलत नहीं करें, ना हीं जबरन प्रवेश कर पुख्ता निर्माण करें, ना हीं अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमन के जरिये करवायें।

वादी के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित हैं। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वादी आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आ0ख0न0 3554 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3562/4120 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3593/4113 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3774 रकबा 0.09 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर वाके ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदादखल नहीं करे, ना हीं जबरन प्रवेश कर पुख्ता निर्माण करें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट चीथवाडी में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चीथवाडी)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– 214/2015

उनवान

1. हनुमानसहाय पुत्र श्री नानूराम
2. जगदीश पुत्र नानूराम

   जातियान ब्राहम्ण, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. जगदीश पुत्र कजोड
2. बन्शीधर पुत्र कजोड
3. मोहन पुत्र कजोड
4. सेठमल पुत्र कजोड
5. राजू पुत्र कजोड
6. औंकार पुत्र मंगला
7. गोपाल पुत्र मंगला
8. बनवारी पुत्र मंगला
9. लालाराम पुत्र मंगला
10. कैलाश पुत्र मंगला

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि विवादित भूमि आ0ख0न0 3554 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3562/4120 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3593/4113 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3774 रकबा 0.09 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर वाके ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदादखल नहीं करे, ना हीं जबरन प्रवेश कर पुख्ता निर्माण करें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीथवाडी मे आज तारीख 14.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला–मजिस्ट्रेट चौमूं जिला–जयपुर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जयपुर

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	2		स्टाम्प वकालत नामा	3	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	4		मीजान	3	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला—जयपुर

Scanned by CamScanner